**संख्या-3/2024-वे0आ0-2-351/दस-2024/ई-पत्रावली(क0सं0)-1761639**

**प्रेषक,**

**दीपक कुमार,**
**अपर मुख्य सचिव,**
**वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।**

**सेवा में,**

**(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।**

**(2) समस्त विभागाध्यक्ष, प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।**

**वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2** **लखनऊ : दिनांक : 18 जून, 2024**

**विषय** :- सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप उत्पन्न वेतन विसंगति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

ए0सी0पी0 विषयक शासनादेश दिनांक 29 सितम्बर, 2020 की व्यवस्था को स्पष्ट करने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 02 मई, 2022 निर्गत किया गया था जिसके प्रस्तर-1(2) में यह स्पष्ट किया गया था कि दिनांक 29 सितम्बर, 2020 के पूर्व के ए0सी0पी0 से आच्छादित प्रकरणों में किसी संवर्ग में वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक से कम होने की स्थिति में कनिष्ठ के बराबर तभी किया जायेगा जब प्रश्नगत प्रकरण ए0सी0पी0 विषयक मूल शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर, 2014 के प्रस्तर-1(19) में प्राविधानित व्यवस्था से पूर्णत: आच्छादित हो।

**2-** शासनादेश दिनांक 02 मई, 2022 की उक्त व्यवस्था के उपरान्त कतिपय ऐसे मामले संज्ञान में आये, जिनमें वरिष्ठ कार्मिक को समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त होने तथा कनिष्ठ कार्मिक को ए0सी0पी0 का लाभ प्राप्त होने से वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक से कम हो गया, जिससे वेतन विसंगति उत्पन्न हो गयी और इसके निराकरण हेतु विभिन्न प्रकरण वित्त विभाग को सन्दर्भित होने लगे।

**3-** उक्त के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वरिष्ठ कार्मिक को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में प्रथम/द्वितीय वैयक्तिक पदोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होने और कनिष्ठ कार्मिक को ए0सी0पी0 के रूप में प्रथम/द्वितीय ए0सी0पी0 अनुमन्य होने के फलस्वरूप वरिष्ठ कार्मिक का वेतन, कनिष्ठ कार्मिक के सापेक्ष कम होने से उत्पन्न विसंगति के निराकरण हेतु वरिष्ठ कार्मिक का वेतन भी कनिष्ठ कार्मिक के समान विसंगति के दिनांक से कर दिया जायेगा। उपर्युक्त लाभ संबंधित वरिष्ठ कार्मिक को तभी अनुमन्य होगा जबकि वरिष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों कार्मिकों की भर्ती का स्रोत एवं सेवा शर्तें समान हों।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

**4-** ए०सी०पी० के स्पष्टीकरण विषयक शासनादेश संख्या-5/2020-वे0आ0-2-550/दस-2020-62(एम)/2008टी0सी0-1, दिनांक 29 सितम्बर, 2020 एवं शासनादेश संख्या-5/2022-वे0आ0-2-190/दस-2022-62(एम)/2008टी0सी0-1, दिनांक 02 मई, 2022 उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायें तथा उक्त शासनादेशों की अन्य व्यवस्थाएं यथावत् लागू रहेंगी।

**भवदीय,**
**दीपक कुमार,**
**अपर मुख्य सचिव।**

**संख्या-3/2024-वे0आ0-2-351(1)/दस-2024, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- । एवं ॥ तथा (आडिट)-। एवं ॥ उ०प्र० प्रदेश, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदया, उ०प्र० शासन।
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उ०प्र०।
4- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र० शासन।
6- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उ०प्र०।
7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र०।
8- उ०प्र० सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9- इरला चेक अनुभाग, उ०प्र० शासन।
10- गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**
**पुष्पराज,**
**विशेष सचिव।**

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।